कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

2884

पत्रांकः /वाद सं0 एल-0040/एस-मांजरीग्रांट/2025 दिनांक 24/10 /2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

देहरादून।

विपक्षी श्री प्रशांत, श्री विवके मांजरीग्रांट फंट साईट फन वैली हरिद्वार रोड देहरादून द्वारा बिना तलपवट मानचित्र स्वीकृति कराये स्थल पर सी.सी. सडक एवं भूखण्डों का सीमांकन आदि का कार्य किये जाने के विरूद उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं का उल्लंधन का उल्लंधन किये जाने के कारण प्रकरण में वाद संख्या एल-0040/एस-मांजरीग्रांट/2025 योजित किया गया। उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 03/11/2026 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुतार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु थानाध्यक्ष डोईवाला को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पीठासीन अधिकारी/ सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

प्रतिलिपि :-

1- नायब तहसीलदार डोईवाला को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त तिथि पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित रहे।

2- थानाध्यक्ष डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- क्षेत्रीय सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं एवं प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर स्थल में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

4- नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जेसीबी मशीन एव ध्वस्तीकरण की समाग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5- श्री श्री प्रशांत, श्री विवके मांजरीग्रांट फंट साईट फन वैली हरिद्वार रोड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। स्थल पर उपस्थित रहें अपना समान हटा लें। शेष शर्तें पूर्व पत्रांक 990 दिनांक 05.06.2025 के अनुसार मान्य होगी।

6 आई.टी. अनुभाग को सूचनाथे।

22/10/26

पीठासीन अधिकारी/ सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।